भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2341

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

24 फाल्गुन, 1944 (शक)

ऑफलाइन सत्यापन करने वाली संस्थाएं (ओवीएसई)

2341. श्री एस.सी. उदासी :

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

श्री अरुण साव :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी ऑफलाइन सत्यापन करने वाली संस्थाएं (ओवीएसई) कार्यरत हैं;

(ख) क्या कुछ ओवीएसई आधार कार्डधारकों की स्पष्ट सहमति के बिना आधार का सत्यापन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वर्तमान में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ओवीएसई आधार उपयोग संबंधी विनियमों का पालन करे और निवासियों के प्रति शालीन व्यवहार करे ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, ओवीएसई को प्राधिकरण से स्वयं को पंजीकृत करवाने अथवा लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है तथा देश में प्रचालनरत ओवीएसई की संख्या के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) तथा (ग) : आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 8क की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि प्रत्येक ओवीएसई को ऑफ़लाइन सत्यापन करने से पहले आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करनी होगी। प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसे निवासी से ऑफलाइन सत्यापन करने के लिए सहमति नहीं लिए जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) : प्राधिकरण ने आधार (प्रमाणीकरण एवं ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 तैयार किया है, जो आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करने, सत्यापन के समय विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए आधार

सत्यापन का उपयोग करने, ऑफलाइन आधार डेटा के भंडारण और साझाकरण आदि संबंधी ओवीएसई के दायित्वों को निर्धारित करता है । प्राधिकरण ने दिनांक 31.10.2022 को एक परिपत्र भी जारी किया है, जिसमें ओवीएसई के लिए क्या करें एवं क्या न करें के संबंध में सूचित किया गया है इसमें, निवासियों के साथ विनम्र होना तथा उपयोग किए जा रहे प्रमाणीकरण उपकरणों की उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना भी शामिल है ताकि कम से कम प्रमाणीकरण विफलताएं हों ।

****